रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 276] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 14, 2015/आश्विन 22, 1937
No. 276] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 14, 2015/ASVINA 22, 1937

श्रम और रोजगार मंत्रालय

(केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड)

संकल्प

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर, 2015

सं. यू-23013/30/2014-एल डब्ल्यू (.).—इस मंत्रालय के संकल्प संख्या यू-23013/30/2014-एल.डब्ल्यू. दिनांक 25 फरवरी, 2015 का अधिक्रमण करते हुए एवं ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड एतदद्वारा उक्त अधिसूचना के क्रम संख्या 8 (i), (ii) तथा (iv) पर दी गई अनुसूची में दिए गए ठेका श्रम के नियोजन के संबंध में अधिसूचना संख्या का.आ. 319(अ)दिनांक 8.05.1991 के विरुद्ध ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम,1970 की धारा 31 के अंतर्गत कांडला पोर्ट ट्रस्ट, को छूट प्रदान करने के विचारार्थ समिति का गठन करता है।

2. समिति का संघटन तथा उसके विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे:-

(i) श्री राज बिहारी शर्मा, — सदस्य
भारतीय मजदूर संघ, (बीएमएस), 42, पटेल कॉलोनी,
सरदार पटेल मार्ग, 'सी' स्कीम, जयुपर-302001

(ii) श्री आलोक कुमार, कार्यकारी निदेशक —सदस्य
सिविल इंजीनियरिंग, (सामान्य)
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)
नई दिल्ली।

(iii) उप-सीएलसी (केन्द्रीय), नई दिल्ली —सदस्य-संयोजक

3. प्रस्तावित समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे:

"अनुसची के क्रम संख्या 8 (i) पोर्ट क्षेत्र से कचरे को निकालने तथा राख को बुहार कर के क्षेत्र में, 8(ii) नलसाजी तथा बागवानी कार्यों जो नए स्कीम का हिस्सा है तथा जिन्हें बाहरी एजेंसी से करवाया जाना होता है को छोड़कर नलसाजी तथा बागवानी कार्यों, सफाई व्यवस्था, स्वच्छता के क्षेत्र में 8(iv) उक्त अधिसूचना के पोर्ट ट्रस्ट अतिथिगृह, में दिए गए कार्य में ठेका मजदूरों के नियोजन को प्रतिषेध करने की अधिसूचना संख्या का.आ. 319(अ) 8.05.1991 के विरुद्ध, ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 31 के अंतर्गत कांडला पोर्ट ट्रस्ट को छूट प्रदान किए जाने के औचित्य का अध्ययन करना है"।

4. समिति का मुख्यालय अहमदाबाद में होगा। समिति पार्टियों को नए सिरे से सुने, निवेदन को प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करें, यदि कोई है तथा उसकी रिपोर्ट तीन माह में सौंपे।

ए. के. सिंह, सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(CENTRAL ADVISORY CONTRACT LABOUR BOARD)

RESOLUTION

New Delhi, the 14th October, 2015

No. U-23013/30/2014-LW (.).—In supersession of this Ministry's Resolution No. U-23013/30/2014-LW dated 25th February, 2015 and in exercise of the powers conferred by Section 5 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, the Central Advisory Contract Labour Board hereby constitutes a Committee to consider the Grant of exemption to Kandla Port Trust under Section 31 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, against Notification S.O. No. 319(E) dated 08.05.1991 in respect of employment of Contract Labour in the works given in the schedule against Sl. No. 8 (i), (ii) & (iv) to the said Notification.

2. The composition of the Committee and its terms of reference will be as under:-

(i)	Shri Raj Bihari Sharma, Bhartiya Mazdoor Sangh, (BMS), 42, Patel Colony, Sardar Patel Marg, "C" Scheme, Jaipur – 302001	-Member
(ii)	Shri Alok Kumar, Executive Director, Civil Engineering, (General) Ministry of Railways, (Railway Board), New Delhi.	-Member
(iii)	Dy. CLC (Central), New Delhi	-Member Convenor

3. The terms of reference of the proposed Committee would be as follows:-

"To study whether there is justification for grant exemption Kandla Port Trust under Section 31 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, against Notification S.O. No. 319(E) dated 8.05.1991 prohibiting of employment of Contract Labour in the works given in the schedule Sl. No. 8(i) in the area of sweeping and removal of garbage and ash from the Port Area, 8(ii) in the area of plumbing and gardening works, conservancy, sanitation except plumbing and gardening works which form part of the new schemes and have to be carried out through out side agency and 8(iv) in the Port Trust Guest house to the said Notification."

4. The Headquarter of the Committee will be at Ahmedabad. The Committee shall hear the parties afresh, allow submissions, if any and submit its report within three months.

A. K. SINGH, Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.